लेखा योग

एफ सी एम सी बिल २००५ - भाग ४ अङ्क १०९; जनवरी -०५, (जुलाई- ०५ में प्रकाशित)

इस अङ्क में

जन-सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन १
- २२· विदेशी अभिदाय अन्य संस्थाओं को प्रदान करना १
- २३· सरकार को अपील १

अन्य परिवर्तन २
- १· परिसंघ २
- २· निजी प्रयोग के लिए उपहार २
- ३· सम्बन्धियों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ २
- ४· इलैक्ट्रॉनिक माध्यम ३
- ५· राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन ३

भविष्य की ओर ४

शब्दावली ४

लेखा योग की अंक संख्या १०८ से आगे . . .

जन-सेवी संस्थाओं (एन पी ओ) को प्रभावित करने वाले परिवर्तन

२२· विदेशी अभिदाय अन्य संस्थाओं को प्रदान करना

वर्तमान विअविअ[१] के अन्तर्गत किसी भी जन-सेवी

संस्था द्वारा उन जन-सेवी संस्थाओं को विदेशी अभिदाय प्रदान करने की अनुमति नहीं है, जो विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत नहीं है। तथापि, अधिनियम के इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, फिर भी मंत्रालय के पञ्जीकरण-पत्र में इसका उल्लेख किया गया है।

एफ सी एम सी[२] बिल में एक विशिष्ट प्रावधान[३] द्वारा इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया गया है।

२३· सरकार को अपील

एफ सी एम सी बिल में आदेशों के संशोधन से सम्बन्धित एक नया प्रावधान[४] रखा गया है। इस

[१] विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम।

[२] फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन् (मैनेजमेन्ट एण्ड कंट्रोल) - विदेशी अभिदाय (प्रबंधन एवं नियंत्रण)

[३] विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान / अन्तरित करने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध। ७। कोई भी व्यक्ति जो कि:-

क· इस अधिनियम के अध्याय ३ के अन्तर्गत पञ्जीकृत है और जिसको प्रमाण-प्रत्र या पूर्वानुमति प्रदान की गई है; और

ख· कोई विदेशी अभिदाय स्वीकार करता है;

वह किसी भी अन्य व्यक्ति को विदेशी अभिदाय की राशि तभी अन्तरित कर सकता है जब वह व्यक्ति भी इस अधिनियम के अध्याय ३ के अन्तर्गत पञ्जीकृत हो और उनको प्रमाण-प्रत्र या पूर्वानुमति प्रदान की गई हो।

[४] केन्द्र सरकार या विहित प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों का संशोधन। ३२· (१) पञ्जीकरण प्राधिकरण स्वयं या इस अधिनियम के अन्तर्गत पञ्जीकृत किसी व्यक्ति द्वारा संशोधन के लिए आवेदन करने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कार्यवाही का अभिलेख मंगवा सकती है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार का कोई आदेश निर्गत किया गया हो और इस अधिनियम के अध्याधीन इस प्रकार की पूछताछ करा सकती है या इस प्रकार की पूछताछ के कार्यवाही का उल्लेख करा सकती है या आवश्यकतानुसार उपयुक्त आदेश पारित कर सकती है।

(२) पञ्जीकरण प्राधिकरण इस धारा के अन्तर्गत किसी भी ऐसे आदेश को संशोधित नहीं करेगा जिसको एक वर्ष से अधिक समय से पूर्व पारित किया गया हो।

(३) उपधारा (१) में सन्दर्भित व्यक्ति द्वारा इस धारा के अन्तर्गत संशोधन के लिए आवेदन करने की स्थिति में सम्प्रेषित आदेश के दिनाङ्क से एक वर्ष के अन्दर या जिस दिनाङ्क को उनको इस सम्बन्ध में जानकारी मिली थी, इनमें से जो भी पहले हो, उस दिनाङ्क को यह आवेदन किया जाना चाहिए।

पञ्जीकरण प्राधिकरण उन आवेदनों को उसकी अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी स्वीकार कर सकता है जब पञ्जीकरण प्राधिकरण इस बात से सन्तुष्ट हो कि व्यक्ति के पास निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(४) पञ्जीकरण प्राधिकरण किसी भी ऐसे आदेश को संशोधित नहीं कर सकता जिसके विरूद्ध अपील की जा सकती है परन्तु अपील की न गई हो और वह अवधि भी व्यतीत न हो गई हो जिसके अन्दर अपील की जा सकती है या उस व्यक्ति ने अपील करने का अधिकार न खो दिया हो।

प्रावधान के अन्तर्गत सरकार पहले से निर्गत किसी भी आदेश को संशोधित कर सकती है।

यह संशोधन सरकार स्वयं भी कर सकती है। इसके लिए एक वर्ष की समयावधि रखी गई है।

यह संशोधन उस स्थिति में भी किया जा सकता है जब कोई एफ सी एम सी में पञ्जीकृत संस्था ने संशोधन के लिए आवेदन किया हो। ऐसी स्थिति में भी समयावधि एक वर्ष ही है। इस अवधि की गणना उस दिनाङ्क से की जाएगी जिस दिनाङ्क को संस्था को आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ प्रकरणों में सरकार द्वारा इस समयावधि की उपेक्षा भी की जा सकती है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि इस अपील के लिए सरकार को शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

अन्य परिवर्तन

इस बिल में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए हैं जो कि जन-सेवी संस्थाओं से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इन पर चर्चा की गई है।

१. परिसंघ

सरकारी संस्थाओं तथा निगमों[५] को परिसंघ की परिभाषा से अलग रखने के लिए एफ सी एम सी में 'परिसंघ' की परिभाषा को संशोधित किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह होगा कि कापार्ट - लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् जैसी संस्थाओं को किसी विदेशी स्रोत से धनराशि स्वीकार करने के लिए एफ सी एम सी के अन्तर्गत पञ्जीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

परन्तु उस स्थिति में क्या होगा जब कोई सरकारी समिति या संस्था ऐसी किसी धनराशि को किसी सामान्य जन-सेवी संस्था को अन्तरित करने का निर्णय लेती है? हमारे मतानुसार इस प्रकार की धनराशि के लिए एफ सी एम सी लागू होगा।[६]

२. निजी प्रयोग के लिए उपहार

एफ सी एम सी बिल में इस सम्बन्ध में १,०००/- रुपये की वर्तमान सीमा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। किसी को भी निजी प्रयोग के लिए दिए गए उपहार को विदेशी अभिदाय नहीं माना जाएगा। परन्तु इस प्रकार के उपहार का मूल्य १०,०००/-[७] रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

३. सम्बन्धियों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ

कुछ संवेदनशील सार्वजनिक पदों पर कार्यरत व्यक्ति विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं कर सकते। यह प्रावधान वर्तमान विअविअ से बिना किसी परिवर्तन[८] के इस एफ सी एम सी बिल में ले लिया गया है।

तथापि, ये व्यक्ति अपने सम्बन्धियों से उपहार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रावधान को भी वर्तमान विअविअ से आगे लाया गया है।

तथापि, वर्तमान विअविअ के अन्तर्गत जब भी वे उपहार प्राप्त करें तो उनको इस सम्बन्ध में सरकार को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि उपहार का मूल्य ८,०००- रुपये वार्षिक से अधिक हो तो इस सम्बन्ध में उनको सरकार से अनुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

---

(५) इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा इस धारा के अन्तर्गत संशोधन के लिये प्रस्तुत किए गए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ विहित मूल्य सन्लग्न किया जाना चाहिए।

[५] परिभाषाएँ २(i) इस अधिनियम में जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) परिसंघ से अभिप्राय व्यक्तियों के परिसंघ से है चाहे वह निगमित हो या नहीं हो तथा जिसका भारत में एक कार्यालय हो और जिसमें समिति भी सम्मिलित है चाहे वह समिति पञ्जीकरण अधिनियम १८६० के अन्तर्गत पञ्जीकृत हो या नहीं तथा कोई अन्य संगठन चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाए परन्तु उसमें किसी केन्द्र या राज्य या प्रादेशिक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कोई निगम सम्मिलित नहीं है या कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा ६१७ में परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियन्त्रित कोई भी समिति सम्मिलित है।

[६] धारा २(१)(एफ) का स्पष्टीकरण :-

किसी भी व्यक्ति द्वारा इस खण्ड में सन्दर्भित किसी भी वस्तु, मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का दान, सुपुर्दगी या अन्तरण, जिसने इनको प्रत्यक्षतः या किसी एक अथवा कई व्यक्तियों के माध्यम से किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त किया हो, इस खण्ड के प्रयोजनार्थ विदेशी अभिदाय माना जाएगा।

[७] धारा २(१)(एफ)(i) '... कोई भी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो किसी व्यक्ति को उसके निजी प्रयोग के लिए उपहार के रूप में दी गई हो, जिसका भारत में बाज़ार मूल्य उपहार देने की दिनाङ्क को दस हजार रुपये से अधिक न हो, जो केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इसके लिए बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया हो, ...।

[८] इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों में व्यक्तियों पर प्रतिबंध को विस्तारित करने को छोड़कर।

नए एफ सी एम सी बिल के अन्तर्गत इन दोनों प्रावधानों को हटा दिया जाएगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी मूल्य के उपहार पर किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

४. इलैक्ट्रॉनिक माध्यम

जैसा कि लेखायोग[९] के पूर्व अंक में उल्लेख किया गया है, विआविअ में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं आते। वर्ष १९९० में निजी क्षेत्र के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम खुलने के पश्चात् यह माध्यम बचाव का रास्ता बन गया था।

एफ सी एम सी बिल में इसके परिशोधन का प्रस्ताव है। तदनुसार, समाचार को तैयार करने या उनका प्रसारण करने वाले संगठनों पर यह प्रतिबन्ध लागू होगा। समाचार का प्रसारण श्रव्य या दृश्य-श्रव्य हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, इसमें किसी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से सामयिक विषयों से सम्बन्धित किसी कार्यक्रम को तैयार करने या उनका प्रसारण करने वाले संगठन भी सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त ऐसे किसी संगठन के संवाददाता या सम्पादक भी विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिबन्धित है।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस प्रतिबन्ध से शेष कौन से संगठन बच गए ? वृतचित्र तैयार करने वाले संगठन इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत नहीं आते। तथापि, ये वृतचित्र सामयिक विषयों से सम्बन्धित नहीं होने चाहिए।

इन्टरनेट के माध्यम से समाचार का प्रसारण करने के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं। इस प्रकार के समाचार श्रव्य-समाचार या दृश्य-श्रव्य-समाचार की श्रेणी में नहीं आते। इनको सामयिक विषयों से सम्बन्धित कार्यक्रम के रूप में भी वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के संगठनों के स्वामी इस धारा[१०] के परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। यह समाचार-पत्रों[११] से सम्बन्धित पूर्व खण्ड में प्रयुक्त भाषा के विपरीत हैं।

इस खण्ड की संरचना के कारण व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कोई जन-सेवी संस्था पर्यावरण से सम्बन्धित प्रकरणों पर एक वृतचित्र तैयार करना चाहती है और यह वृतचित्र विदेशी अभिदाय से वित्त पोषित किया जा रहा है। क्या यह जन-सेवी संस्था इस वृतचित्र के लिए दृश्य-श्रव्य समाचार सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार करने वाले किसी व्यावसायिक स्टूडियो से सम्पर्क कर सकेगी ? क्या इस स्टूडियो को किये जाने वाले शुल्क का भुगतान विदेशी अभिदाय होगा? यह इस बिल की भाषा से यह स्पष्ट नहीं होता।

५. राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन

राजनीतिक प्रकृति वाले संगठनों पर प्रतिबंधों को प्रवर्धित किया गया है। वर्तमान समय में इन संगठनों को प्रत्येक प्रकरणों में केवल पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही विदेशी अभिदाय स्वीकार करने की अनुमति है।

एक बार एफ सी एम सी बिल के अधिनियम बन जाने पर पूर्वानुमति[१२] का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। फिर इस प्रकार के संगठन विदेशी अभिदाय बिलकुल भी स्वीकार नहीं कर सकेंगे।

किस प्रकार के संगठनों को राजनीतिक प्रकृति वाले संगठन माना जाता है ? इस प्रकार के संगठनों में मुख्यतः छात्र-संघ, श्रमिक-संघ या किसी राजनीतिक

---

[९] लेखा-योग ५५: विआविअ की जटिलताएँ

[१०] विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध ३ (१) निम्नलिखित द्वारा किसी भी प्रकार का विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा :-

(छ) किसी भी इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से श्रव्य-समाचार या दृश्य श्रव्य-समाचार अथवा सामयिक विषयों से सम्बन्धित कार्यक्रम तैयार करने या उसके प्रसारण में कार्यरत परिसंघ या कम्पनी ;

(ज) खण्ड छ में संदर्भित परिसंघ या कम्पनी के संवादाता या संपादक....

[११] विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से सम्बन्धित प्रतिबंध ३ (१) निम्नलिखित द्वारा किसी भी प्रकार का विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं किया जाएगा :-

(ख) किसी भी पंजीकृत समाचार-पत्र के संवादाता, स्तम्भ-लेखक, व्यंग-चित्रकार, सम्पादक, स्वामी, मुद्रक या प्रकाशक...

[१२] वर्तमान समय में प्रपत्र एफ सी-१ में प्रदान की जाती है।

दल से सम्बन्ध रखने वाले संगठन सम्मिलित होते हैं। इसके कुछ उदाहरण[१३] निम्नलिखित हैं:-

- आल इन्डिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन (ए आई डब्ल्यू ए), २३, विट्ठल भाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली
- नेशनल स्टूडेन्टस यूनियन ऑफ इन्डिया (आई) ५, रायसीना रोड, नई दिल्ली
- पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (पी यू सी एल) ८, सहयोग अपार्टमेंट मयूर विहार फेज-१, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर एस एस), हेडगेवार भवन, नागपुर
- शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस जी पी सी) गोल्डन टेम्पल, अमृतसर
- स्टूडेन्ट इस्लामिक मूवमेंट इन इन्डिया (सीमी), १५१-सी, ज़ाकिर नगर, नई दिल्ली
- तबलिघ जमात, बंगले वाली मस्जिद, निज़ामुद्दीन बस्ती, नई दिल्ली
- विलियम कैरे स्टडी एन्ड रिसर्च सेंटर, कोलकाता

भविष्य की ओर

एफ सी एम सी बिल में उत्पन्न नौकरशाही की सम्भावनाओं से जन-सेवी संस्थाओं में कुछ भिन्नता उत्पन्न हो गई है। इस बिल के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने तथा कुछ गुटबाज़ी होने की भी सम्भावना है। कुछ लोगों को यह भी आशंका है कि बिल वास्तव में कानून बन भी पाएगा या नहीं !

वर्ष १९८८ से लेकर अब तक विअविअ को सुदृढ़ करने का यह चौथा प्रयास है। अधिनियम के पारित होने से पूर्व सरकार के बदल जाने के कारण पूर्व के अन्य तीन प्रयास सफल नहीं हो सके थे।

शब्दावली

अन्तरित - ट्रान्सफ़र्ड

अपेक्षित - रिक्वायर्ड

अनुच्छेद - पैराग्राफ

श्रव्य - ऑडियो

निर्गत - इश्यूड्

पञ्जीकृत - रजिस्टर्ड

पञ्जीकरण - रजिस्ट्रेशन

परिसंघ - एसोसिएशन

पूर्वानुमति - प्रायर-परमिशन

प्रवर्धित - ऐम्पलिफाइड

प्रत्यक्षतः - डायरेक्टली

प्रावधान - प्रोविज़न

वृतचित्र - डॉक्यूमेन्ट्री

विनिर्दिष्ट - स्पेसिफ़ाइड्

विशिष्ट - स्पेसिफ़िक्

दृश्य-श्रव्य - ऑडियो विज़्युअल

लेखा·योग क्या है - 'मानक हिन्दी कोश' के अनुसार योग के कम से कम ४० अर्थ होते हैं। गणित में योग का अर्थ है दो संख्याओं को जोड़ना। आध्यात्मिक रूप से योग का अर्थ तपस्या अथवा साधना होता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्म को योग बताया है। लेखा कर्म में यह तीनों भाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि लेखाकार लेखा लिखने और योग लगाने में योगफल की चिन्ता न करें तो अवश्य ही संस्थाओं के लेखा-जोखा में सुधार होगा। लेखा·योग का यही उद्देश्य है।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग २७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग - This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप - लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध हैं। इनका हिन्दी वाभ-स्वरूप कुछ समय पश्चात् प्राप्त हो सकेगा।

विधि-व्याख्या - यहाँ पर उल्लेखित विधि की व्याख्या साधारण जानकारी हेतु की गयी है। अतः निवेदन है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व अपने परामर्शदाताओं से सम्मति ले लें।

पत्राचार - आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है - अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली-११० ०१४; दूरभाष - ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष / प्रतिरूप प्रेषिका - २६३४ ६०४१; ई-प्रेष - accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् आषाढ़ २०६२; जुलाई २००५ ईस्वी।

[१३] ३१ मई १९९८ तक अद्यतन की गई सूची पर आधारित